



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र.

1619

कमांक / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2024-25

दिनांक 21/7/24

// आदेश //

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 191 वी बैठक दिनांक 13/06/2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जे.एन.सी.टी. प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की सशर्त एवं प्रावधिक अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र.	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 ख अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/ वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	JAI NARAIN College of Technology	B.TECH CSE	-	360	300	-	72
		B.TECH COMPUTER SCIENCE - AI	-	360	240		
		B.TECH AIML	-	360	240		
		B.TECH AIDS	-	360	240		
		B.TECH ME	-	60	60		
		B.TECH EC	-	60	60		
		B.TECH CIVIL	-	60	60		
		B.TECH ELECTRICAL ENGINEERING	-	60	60		
		B.TECH ELECTRICAL & ELECTRONICS	-	60	60		
		M.TECH CSE	-	30	30		
		M.TECH COMPUTER SCIENCE - AI	-	30	30		
		M.TECH AIML	-	30	30		
		M.TECH AIDS	-	30	30		
		M.TECH ME	-	30	30		
		M.TECH EC	-	30	30		
		M.TECH CIVIL	-	30	30		
		M.TECH ELECTRICAL ENGINEERING	-	30	30		
		M.TECH ELECTRICAL & ELECTRONICS	-	30	30		
		DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING	-	60	60		
		DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING	-	60	60		
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING	-	60	60				
DIPLOMA IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	-	60	60				
DIPLOMA IN ELECTRICALS	-	60	60				
DIPLOMA IN ELECTRICAL & ELECTRONICS	-	60	60				

निसंतर...2

क्र.	संकेय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 बी अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	प्रस्तावित कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
		DIPLOMA IN MINING ENGINEERING	-	60	60		66
		BACHELOR IN COMPUTER APPLICATION	-	180	120		14
		BACHELOR IN COMPUTER APPLICATION AIML	-	180	120		
		MASTER IN COMPUTER APPLICATION (MCA)	-	180	120		75
		MASTER IN COMPUTER APPLICATION AIML	-	180	120		
2	JAI NARAIN COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT	B.COM	-	120	120		14
		B.COM WITH SPECIALIZATION TOURISM & TRAVELS	-	120	60		
		ADVERTISMENT	-	120	60		
		INSURANCE	-	120	60		
		TAXATION	-	120	60		
		COMPUTER APPLICATION	-	120	60		25
		MBA MBA DSV MBA Executive /All discipline	-	180	180		26
		MBA in Hospital Administration	-	60	60		27
		Integrated Course of BBA + MBA	-	120	120		24
M. Com.	-	50	50				
3	JAI NARAIN COLLEGE OF SCIENCE, BHOPAL	BSC (PCM)	-	60	60		14
		BSC COMPUTER SCIENCE	-	60	60		
		BSC CBZ	-	60	60		
		BSC MICROBIOLOGY/ BIOTECHNOLOGY/	-	60	60		
		BSC COW MANAGEMENT	-	60	60		29
		MSC PHYSICS	-	20	20		
		MSC CHEMISTRY	-	20	20		
		MSC MATHEMATICS	-	20	20		
		MSC BOTANY	-	20	20		
		MSC ZOOLOGY	-	20	20		
		MSC COMPUTER SCIENCE	-	20	20		
		MSC FORENSIC SCIENCE	-	20	20		
		MSC BIOTECHNOLOGY	-	20	20		
		MSC BIOCHEMISTRY MSC	-	20	20		
4	JAI NARAIN COLLEGE OF ARTS, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES	BA	-	60	60		14
		MA ENGLISH	-	20	20		28
		MA PSYCHOLOGY	-	20	20		
		MA SOCIAL WORK (SOCIOLOGY)	-	20	20		

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।

निरंतर.....3


(3)


3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

पृष्ठांकन..... / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल / अका-1 / 2024-25
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, जे.एन.सी.टी. प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।


(सुनील खरे)
प्रबंधक, वित्त एवं प्रशासन
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल
दिनांक / 07 / 2024


प्रबंधक, वित्त एवं प्रशासन
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल